Year 1993

1.	G. V. L. N. Rao	Andhra Pradesh
2.	A. J. Sadashiva	Karnataka
3.	K. H. N. Khuranga	Karnataka
4.	R. V. Raveendran	Karnataka
5.	S. Venkataraman	Karnataka
6.	A. Madan	Delhi
7.	K. J. Joseph	Kerala
8.	S. D. Ramareddy	Andhra Pradesh
9.	B. M. Mitra	Calcutta
10.	J. N. Sarma	Gauhati
11.	A. L. Vaidya	Himachal Pradesh

Statement II

List of Judges of the Supreme Court appointed during 1992-93

Sl. No.	Name of Judge
1.	Shri Justice N. P. Singh
2.	Shri Justice S. P. Bharucha
3.	Shri Justice N. Venkatachala

विशेष अभियोजक (केन्द्रीय जाँच ब्यूरो की नियुक्ति में विलम्ब

3257. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि सरकार ने केन्द्रीय जाँच ब्यूरो की ओर से विशेष अभियोजक की नियुक्ति के मामले में विलम्ब किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले प्राप्त हुए हैं जिनमें केन्द्रीय जाँच ब्यूरो की ओर से विशेष अभियोजक की नियुक्ति का अनुरोध किया गया है; और

(घ) इनमें से प्रत्येक मामले में अनुरोधों को स्वीकृत करने हेतु सरकार द्वारा कितना समय लिया गया ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

Circumvention of orders of Patna Bench of CAT by Bihar Government

3258. SHRI S. S. AHLUWALIA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Bihar Government in a number of cases has circumvented the order passed by the Patna Bench of the Central Administrative Tribunal in the recent past ;

(b) if so, what are the details thereof ; and

(c) what remedial action Government proposes to take in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ) : (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

"शरीयत" और देश में प्रचलित कानूनों के अंतर्गत तलाक के बाद बच्चों का लालन-पालन

3259. **श्रीमती वीणा वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि शरीयत और देश में प्रचलित कानूनों के अनुसार बच्चों के समझदार अथवा बालिग होने तक उन पर मां का अधिकार होता है और तलाक होने के बाद पिता को उनका खर्च वहन करना पड़ता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच हैं कि ऐसे मामलों में भारतीय न्यायालय लड़के के मामले में सात साल की आयु तक और लड़की के मामले में तेरह साल की आयु तक पिता से खर्चा दिलाते हैं ; और

(ग) बच्चों का वास्तविक संरक्षक कौन हैं और क्या सरकार अथवा वक्फ बोर्ड ने तलाक के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कोई प्रयास किए हैं, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारतद्वाज) : (क) और (ख) मुस्लिम संरक्षकता विधि को भारत में संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890, जो सभी भारतीयों को लागू होता है, के अधीन उसकी स्थिति के संबंध में न्यायिक रायों की बहुलता के कारण विभिन्न न्यायालयों द्वारा भिन्न-भिन्न रूपों में लागू किया गया है । हनफी विचारधारा में किसी अप्राप्तवय लड़के की उसके जन्म से जब तक वह सात वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है, हजरिआत (शारीरिक कब्जा जिसमें उसका पालन-पोषण भी सम्मिलित है) मुख्य रूप से